



न्यायालय श्रीमान राजस्व परिषद, ग्वारियर (म.प्र.)

निगरानी प्रकरण क्रमांक- / /2010

मुबारिक पिता बाबु गल्ला, जाति-मुसलमान, R-1285-II/2010

उम्र-50 वर्ष, धंधा-खेती,

निवासी-मुल्तानपुरा, तहसील व जिला-मन्दसौर

आवेदक

विरुद्ध

1. मोहम्मद ईशाक पिता बशीर मंसूरी, उम्र-50 वर्ष,
निवासी-मदारपुरा, तहसील-मन्दसौर,
2. शेखु पिता बाबु गल्ला, उम्र-45 साल,
निवासी-मुल्तानपुरा, तहसील-मन्दसौर,
3. हसीनाबी पुत्री बाबु गल्ला, उम्र-40 वर्ष,
निवासी-मुल्तानपुरा, तहसील-मन्दसौर
4. श्रीमती बानोबी पिता बाबु गल्ला, उम्र-38 वर्ष,
निवासी-मुल्तानपुरा, तहसील-मन्दसौर,
5. श्रीमती रमीजा पिता बाबु गल्ला, उम्र-35 वर्ष,
निवासी-मुल्तानपुरा, तहसील-मन्दसौर,

अनावेदकगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. मू-राजस्व संहिता 1959.

न्यायालय अपर आयुक्त सम्भाग उज्जैन के द्वारा अपील क्रमांक-526/03-04 में पारित आदेश दिनांक 15.03.2009 से परिवेदित होकर जो कि अतिरिक्त कलेक्टर, जिला-मन्दसौर के द्वारा प्रकरण क्रमांक-3/अपील/03-04 में पारित आदेश दिनांक 02.07.04 से परिवेदित होकर प्रस्तुत की गई थी जो कि न्यायालय तहसीलदार, मन्दसौर के द्वारा प्रकरण क्रमांक-56/अ-6/92-93 में पारित आदेश दिनांक 20.02.98 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई थी।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से निगरानी निम्नवत् प्रस्तुत है, :-

मुनाशीक

निरन्तर पेज 2 पर.....

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग - अ

प्रकरण कमांक निगरानी 1285-II/2010

जिला मंदसौर

मुबारिक

विरुद्ध

मोहम्मद ईशाक आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर	
26-8-2015	<p>आवेदक अभिभाषक श्री के० के० द्विवेदी उपस्थित। अनावेदक कमांक 1 की ओर से अभिभाषक श्री आर०डी० शर्मा उपस्थित। शेष अनावेदक पूर्व से एकपक्षीय है।</p>	<p>आवेदक अभिभाषक श्री के०के० द्विवेदी ने आवेदक की ओर से प्रकरण समाप्त किये जाने बावत आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आवेदक प्रकरण को आगे चलाना नहीं चाहते हैं। अतः प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाये। आवेदक एवं उनके अभिभाषक के लिखित एवं मौखिक अनुरोध अनुसार प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख वापस भेजे जायें। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।</p>	<p> सदस्य</p>